महत्वपूर्ण

संख्या- 6/९९१/५०-वाई0के0-२०१४-६०(विविध)/२०१३

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

युवा कल्याणअनुभाग **लखनऊ: दिनांक-१३ अगस्त, २०१४**

विषय:-जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद रिक्त होने पर जनपद के वरिष्ठतम् क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अथवा व्यायाम प्रशिक्षक को जनपद का प्रभार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठतम् क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अथवा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी से वरिष्ठ व्यायाम प्रशिक्षक तैनात हो तो वरिष्ठता के अनुसार उन्हें, स्थायी व्यवस्था होने तक कार्यवाहक के रूप में अपने पद के साथ-साथ जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कराये जाने के निर्देश शासनादेश सं0-३२१५/पचास-यु0क0-२००१, दिनांक २२ दिसम्बर, २००१ द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ दिये गये थे कि इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन इत्यादि नहीं मिलेगा।

२- प्रकरण के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में यथा संभव जनपद में तैनात वरिष्ठतम् क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अथवा व्यायाम प्रशिक्षक को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। परन्तु जनपद में उपयुक्त विभागीय अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में जिलाधिकारी स्तर से किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। किसी भी दशा में अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अधिकारी को इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता आदि देय नहीं होगा।

-२-

http://shasanadesh.up.nic.in

३- संदर्भित शासनादेश दिनांक २२ दिसम्बर, २००१ एतद्द्वारा अवक्रमित समझा जाए।

४- उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

भुवनेश कुमार,
सचिव।

संख्या-९९१(१)/५०-वाई0के0-२०१४-६०(विविध)/२०१३, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-३८५/एक-९४/प्रा0वि0द0/२००८टीसी, दिनांक ०९ जुलाई, २०१४ के संदर्भ में,

२- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0,

३- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उ0प्र0,

४- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in